फर्द अहकाम
(नियम--26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण — किशन कंवर पुत्री प्रतापसिंह वगै — बनाम — अप्रार्थीगण — भवानी सिंह पुत्र प्रताप सिह वगै

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र — मुकदमा नं. 62/2017 TI

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
19.05..2017	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री दशरथ सिंह राठौड़ ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथ पत्र का अवलोकन से मामला प्रथम दृश्टयां प्रार्थीगण के पक्ष मे सुविधा का सुतंलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि आगामी आदेश तक मौजा नीमनगर के खेत खसरा नं 1959 रकबा 35 बीघा , ख नं 1963/1 रकबा 12.16 बीघा ख नं 1964/1 रकबा 13.08 बीघा , ख नं 1981 रकबा 29.05 बीघा , ख नं 1984 रकबा 25.16 बीघा , ख नं 1987 रकबा 0.09 बीघा , ख नं 1989 रकबा 07.19 बीघा भूमि का बेचान/बक्सीस/रहन व अन्य प्रकार से हस्तानान्तरण नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 06 विवादित खेताय के दस्तावेज का पंजीयन न करे व उपरोक्त खसरान् की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 02.06.2017 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर) (मुहर: सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल नागौर) पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 19-1-18...को प्रस्तुत करें।	

6-9-17

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

19.1.18

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 19-2-18...को प्रस्तुत करें।

Scanned by CamScanner

16-2-18	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते है इसलिये पत्रावली को आज पेशी पर लेकर आदेशे विड्रोल खारिज किया जावे। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी पर ली गयी तथा आदेशे विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner